ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता

*156. **श्री राम नरेश यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ को नियुक्त करने के पीछे सरकार का क्या उद्देशय था और इस समय कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ की संख्या कितनी हैं,

(ख) ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता सघ की, जो पिछले तीन वर्ष से निरन्तर आन्दोलन कर रहा है, मांगे क्या है, और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (प्रो० शकीलुर रहमान) : (क) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड समुदाय द्वारा चुने गए स्वयंसेवक होते हैं और उनका अपना-अपना व्यवसाय होता है । उन्हे नाममात्र का मानदेय भी दिया जाता है । ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड को नियुक्त करने का उद्देश्य स्वैच्छिक आधार पर ग्रामीण लोगो को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने, छोटी-मोटी बीमारियो का उपचार करने तथा रोग निवारक और स्वास्थ्यवर्धक परिचर्या उपलब्ध करने के लिए समुदाय द्वारा चुने गए स्थानीय व्यक्ति को प्रशिक्षित करना है । इस समय 3,26,760 ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कार्य कर रहे है ।

(ख) उनकी मुख्य मागे मानदेय को बढाना, औषध किटो की सप्लाई और उनकी सेवाओ को नियमित करना है ।

(ग) चूकि ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड स्वंसेवी कार्यकर्ता है, इसलिए उनकी सेवाओ को नियमित करने का प्रश्न नही उठता । वित्तीय कठिनाई की वजह से उनके मानदेय को बढाना और औषध किटो की सप्लाई करना संभव नही हो सकता है ।

Payment of Royalty on Crude Oil

*157. SHRI V GOPALSAMY:
SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN.

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state.

(a) the amount of royalty on the production of crude oil paid by the Central Government during the last three years to each State, State-wise and rate-wise; and

(b) what is the formula adopted by the Central Government in sharing with the States revenue accruing from the sale of crude oil?

THE MINISTER FOR PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) (a) A statement is laid on the table of the Sabha (*See* below)

(b) The formula for payment of royalty is in accordance with the provisions of the Oilfields (Regulations & Development) Act, 1948 and the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959 Royalty is fixed in accordance with Section 6A of the Act and since the mining lease for land vested with a State Government is granted by that State Government, in accordance with Rule 5 and 14 of the Rules mentioned above royalty on crude produced from such area is payable to the concerned State Government Since the mining lease in respect of land or mineral underlying ocaen is granted by the Central Government, royalty in respect of crude oil produced from such areas is payable to the Central Government

For the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90 the royalty paid to the States of Assam, Gujarat, Arunachal Pradesh and Tamil Nadu are as follows:

(Rupees in crores)

	1987-88	1988-89	1989-90	Total
Assam	98 96	104 77	171 53	375 26
Gujarat	95 79	103 78	181 21	380 78
Arunachal Pradesh	00 69	0 67	0 73	2 09
Tamil Nadu	00 27	0 60	4 01	4 88

बच्चों में कुपोषण

*158. श्रीमती सूर्यकांता पाटील :
श्री शकील रशमी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 दिसम्बर, 1990 के हिन्दी "दैनिक जागरण" में "प्रतिदिन 49 हजार बच्चे भारत में कुपोषण से मर जाते हैं" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मौतों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (प्रो० शकीलुर रहमान) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में 21 दिसम्बर, 1990 के "हिन्दी "दैनिक जागरण" में "भारत में कुपोषण के कारण प्रतिदिन 49,000 बच्चे मरते हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार आया है । यह शीर्षक भ्रामक है । इस शीर्षक के समाचार में कहा गया है "कुपोषण तथा अन्य रोगों के कारण विश्व में प्रतिदिन लगभग 40,000 बच्चे मर जाते हैं ।" यह समाचार "दि स्टेटस आफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 1991" नामक शीर्षक से यूनीसेफ की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है । यह सही नहीं है कि भारत में 49,000 बच्चे प्रतिदिन कुपोषण के कारण मरते हैं ।

भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार भारत में वर्ष 1987 में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 35.2 है । इसके आधार पर कुपोषण सहित सभी कारणों से मरने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या प्रतिदिन लगभग 10,000 है । बहरहाल समस्त देश में कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष मरने वाले बच्चों की संख्या के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

बच्चों में कुपोषण तथा इससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं । इनमें पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम, विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता से रोकथाम, आयोडीन कमी नियंत्रण कार्यक्रम, तथा समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत पूरक आहार की व्यवस्था शामिल है । स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और जन प्रचार के माध्यम से पोषण शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें स्तनपान, दूध छुड़ाने के उपयुक्त तरीकों, बच्चों को सन्तुलित आहार आदि पर बल दिया जा रहा है ।

बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए अन्य जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें डिफथीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, तपेदिक, पोलियो, माइलिटिस और खसरे जैसे रोगों की रोकथाम के लिए व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम, अतिसार के कारण शरीर में पानी की कमी से